1003

ए.

केंद्रीय चेतावनी निगम v.

अदानी बंदरगाह विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमित (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) और अन्य

बी.

(सिविल अपील 2022 की आई. डी. 1) 13 अक्टूबर, 2022

[बी**.** आर**.** गवई और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

अवसंरचना परियोजना-विशेष आर्थिक क्षेत्र-गुजरात समुद्री बोर्ड (जी. एम. बी.) ने पट्टे और कब्जा समझौते को निष्पादित किया जिससे गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड (जी. ए. पी. एल.) को 30 वर्षों के लिए अविकसित भूमि का पट्टा दिया गया-जी. ए. पी. एल. को बंदरगाह और अन्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए एक रियायत समझौते के तहत विकास अधिकार भी दिए गए-जी. ए. पी. एल. ने 2 जून, 2004 के समझौते के माध्यम से अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी., 1962 के अधिनियम के तहत एक वैधानिक निगम को अनाज, अधिसूचित वस्तुओं और संबंधित गतिविधियों के भंडारण और संचालन के लिए एक गोदाम स्थापित करने के लिए लगभग 34 एकड़ भूमि का भूखंड उप-पट्टे पर दिया-सी. डब्ल्यू. सी. ने दो गोदाम स्थापित किए और अवसंरचना के विकास के लिए भुगतान भी किया-इस बीच, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 आया।I)-अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने एस. ई. जेड. से उक्त 34 एकड़ भूमि की अधिसूचना रद्द करने के लिए सी. एंड आई. मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया-इस बीच, प्रत्यर्थी नं.1-अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) ने अपीलार्थी -सी. डब्ल्यू. सी. को सूचित किया कि वह बाद वाले को गोदाम गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति नहीं देगा और परिवहन के लिए गेट पास जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसने 2 जून, 2004 के समझौते में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है-सी. डब्ल्यू. सी. ने रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने नोटिस जारी करते समय अंतरिम राहत नहीं दी-सी. डब्ल्यू. सी. ने एल. पी. ए.-डिवीजन बेंच दायर की और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे सी. डब्ल्यू. सी. को गतिविधियों को अंजाम देने और परिवहन के लिए गेट पास जारी करने की अनुमति दें-इस बीच, सी. डब्ल्यू. सी. के 34 एकड़ भूमि के परिसीमन/अधिसूचना रद्द करने के अनुरोध को सी. एंड आई. मंत्रालय ने खारिज कर दिया-अपीलार्थी ने एक और रिट याचिका दायर की-पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से किए गए प्रयास

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1003

– एपीएसईजेडएल द्वारा किए गए समझौते के लिए प्रस्ताव कि एसईजेड क्षेत्र के बाहर भूमि का समतुल्य भूखंड निर्धारित किया जाएगा, जिसके बाद समान आकार के गोदाम का निर्माण किया जाएगा-सीडब्ल्यूसी के निदेशक मंडल ने तीन शर्तों पर निपटान प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया-एपीएसईजेडएल तीनों शर्तों पर सहमत हो गया-हालांकि, बाद में यह एकतरफा रूप से तीसरी शर्त से वापस आ गया-दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि समझौता संभव नहीं था-उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि सीडब्ल्यूसी पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार पहली दो शर्तों से बाध्य था, दूसरा प्रत्यर्थी एपीएसईजेडएल द्वारा दी गई तीसरी शर्त से बाध्य नहीं था और बाद में इसके द्वारा वापस ले लिया गया-उच्च न्यायालय ने कहा कि, क्योंकि पहली दो शर्तों पर आम सहमति थी और तीसरी शर्त पर कोई आम सहमति नहीं थीउच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण मान्य नहीं था-प्रत्यर्थी नं.1-एपीएसईजेडएल एक समग्र था इसलिए अपीलार्थी-सीडब्ल्यूसी द्वारा इसकी स्वीकृति भी समग्र थी-पहली दो शर्तों की स्वीकृति भी तीसरी शर्त पर निर्भर थी-यदि उच्च न्यायालय विवाद के निपटारे के बारे में इतना चिंतित था, तो, अपीलार्थी-सीडब्ल्यूसी को पहली दो शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हुए, उसे प्रत्यर्थी को बाध्य भी करना चाहिए था।1-तीसरी शर्त को स्वीकार करने के लिए ए. पी. एस. ई. जेड. एल.-जब कोई मुद्दा एक सांविधिक निगम और एक निजी कंपनी के हितों के संतुलन से जुड़ा होता है, तो उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए था-उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि जब तक तीनों शर्तों का पालन नहीं किया जाता, तब तक अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी., जो एक सांविधिक निगम है, के हित की रक्षा नहीं की जा सकती थी-उच्च न्यायालय का निर्णय टिकाऊ नहीं है-भंडारण निगम अधिनियम, 1962।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

सांविधिक निगम-सांविधिक निगम और एक निजी संस्था के बीच विवाद-निपटान-इसका प्रभाव-आयोजितः जब तक समझौता दोनों पक्षों के हित में नहीं पाया जाता है, तब तक इसे किसी वैधानिक निगम पर उसके नुकसान और किसी निजी संस्था के लाभ के लिए नहीं थोपा जा सकता है।

जी.

सरकारी मुकदमेबाजी-भारत संघ के दो विभागों को ऐसे रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो तिरछे विपरीत हों-भारत संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करेगा कि ए

एच.

1005

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.)

जब भी विभिन्न विभागों द्वारा परस्पर विरोधी रुख अपनाया जाता है, तो उन्हें सरकारी स्तर पर ही हल किया जाना चाहिए।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.**वर्तमान मामले में, कानून के आधार पर निर्णय लेने के बजाय, रिकॉर्ड से सामने आने वाली तथ्यात्मक स्थिति पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. एक सांविधिक निगम है।यह किसी भी अधिकारी के स्वतंत्र निर्णयों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है और इसे निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार कार्य करना पड़ता है। **[**पारस **26** और **29] [1016-**जी**; 1019-**एफ**-**जी**]**

बी.

2.1.विवादित निर्णय और आदेश को देखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने वास्तव में यह अभिनिर्धारित किया कि हालाँकि अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. पक्षों के बीच सहमति के अनुसार पहली दो शर्तों से बाध्य था, लेकिन दूसरा प्रत्यर्थी तीसरी शर्त से बाध्य नहीं था जैसा कि प्रत्यर्थी नं.**1-**एपीएसईजेडएल **9** मार्च **2019** को और बाद में **10** जून **2019** को वापस ले लिया गया।खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि पहली दो शर्तों पर सर्वसम्मति थी और तीसरी शर्त पर कोई सर्वसम्मति नहीं थी, इसलिए अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. पहली दो शर्तों से बंधा था और जहां तक तीसरी शर्त का संबंध है, यह पक्षकारों के लिए अपने बीच या मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता करने के लिए खुला था। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि हालांकि एपीएसईजेडएल ने शुरू में तीसरी शर्त का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने तुरंत **10** जून **2019** के अपने अगले पत्र में इसे समझाया और स्पष्ट किया

था।डिवीजन बेंच के विचार में, तीन महीने की अवधि 'तत्काल' है।उक्त दृष्टिकोण पूरी तरह से असमर्थनीय है।[पारस **41** और **43] [1026-**डी-जी]

सी.

डी.

ई.

एफ.

2.2 डिवीजन बेंच द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, वास्तव में, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी., जो एक वैधानिक निकाय है, को समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था।उच्च न्यायालय ने वास्तव में, अपीलार्थी सी. डब्ल्यू. सी. के एम. डी., जो एक सांविधिक निकाय है, को पहली दो शर्तों को स्वीकार करने और तीसरी शर्त को मध्यस्थता के माध्यम से पारस्परिक रूप से निपटाने के लिए छोड़ने के लिए मजबूर किया।प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया प्रस्ताव सं।**1- 9** मार्च **2019** को ए. पी. एस. ई. जेड. एल. एक समग्र था इसलिए अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा इसकी स्वीकृति भी एक समग्र थी।पहली दो शर्तों की स्वीकृति भी तीसरी शर्त पर निर्भर थी।यदि डिवीजन बेंच इतना चिंतित था

जी.

एच.

ए.

विवाद के निपटारे के बारे में, तब, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को पहली दो शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हुए, उसे प्रत्यर्थी नहीं को भी मजबूर करना चाहिए था।**1-**ए. पी. एस. ई. जेड. एल. तीसरी शर्त स्वीकार करेगा।[पारस **44** और **45] [1026-**जी; **1027-**डी-ई]

3. उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. एक सांविधिक निकाय था।सीवीसी द्वारा वर्ष **2010** की शुरुआत में ही यह टिप्पणी की जा चुकी है कि वर्तमान स्थल से परिवर्तित स्थल पर भंडारण सुविधा की अदला-बदली से गंभीर वित्तीय निहितार्थ पैदा होंगे और इसमें विभिन्न निहित स्वार्थ भी शामिल हो सकते हैं।सी. वी. सी. ने यह भी देखा था कि व्यापार में नुकसान होने की भी संभावना है।इसके अलावा, डिवीजन बेंच ने सीएएफ एंड पीडी मंत्रालय द्वारा लिए गए रुख को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसने भी इस तरह की अदला-बदली का विरोध किया था।जब किसी मुद्दे में सांविधिक निगम और निजी कंपनी के हितों का संतुलन शामिल होता है, तो उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए था।उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि जब तक

तीनों शर्तों का पालन नहीं किया जाता, तब तक अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी., जो एक वैधानिक निगम है, के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती थी।यदि कोई समझौता किया जाना था, जब तक कि वह दोनों पक्षों के हित में नहीं पाया जाता था, तो इसे किसी वैधानिक निगम पर उसके नुकसान और किसी निजी संस्था के लाभ के लिए नहीं थोपा जा सकता था।**[**पैरा **47] [1028-**सी-एफ**]4.** भारत संघ के दो मंत्रालयों द्वारा लिए गए रुख एक दूसरे के विपरीत हैं।एक ओर, सी एंड आई मंत्रालय ने माना है कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा मांगी गई परिसीमन/अधिसूचना कानून में अनुमत नहीं है।दूसरी ओर, सी. ए. एफ. और पी. डी. मंत्रालय ने यह रुख अपनाया है कि इस तरह का परिसीमन/अधिसूचना रद्द करना कानून में अनुमत है और यह भी कहा है कि ऐसा करने के लिए उदाहरण हैं।सी. ए. एफ. और पी. डी. मंत्रालय का यह भी रुख है कि गोदामों को वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित करना अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के साथ-साथ सार्वजनिक राजस्व के हित के खिलाफ होगा।भारत संघ के लिए दो विरोधाभासी आवाज़ों में बोलना अच्छा नहीं है।भारत संघ के दो विभागों को ऐसे स्टैंड लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो तिरछे विपरीत हों।यह ए पर प्रभावित है

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1007

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.)

भारत संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करेगा कि जब भी विभिन्न विभागों द्वारा इस तरह के परस्पर विरोधी रुख अपनाए जाएं, तो उन्हें सरकारी स्तर पर ही हल किया जाना चाहिए।**[**पारस **50-53] [1029-**बी, डी, एफ-जी; **1030-**सी**]**

लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (2016) 1 एस. सी. सी. 560:

बी.

[2015] 10 एस. सी. आर. **362-**संदर्भित।

5.1.डिवीजन बेंच के पास उपलब्ध सबसे अच्छा तरीका एकल न्यायाधीश को याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश देना था।डिवीजन बेंच का दिनांक 30 जून 2021 का विवादित निर्णय और आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।[पैरा 48 और 49]

सी.

5.2.जब तक विद्वान न्यायाधीश द्वारा अगले आदेश पारित नहीं किए जाते हैं, तब तक डिवीजन बेंच द्वारा पारित 26 अप्रैल 2019 का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।यह आदेश दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने के रास्ते में नहीं आएगा।[पैरा 56 और 57]

डी.

कृष्णादेवी मालचंद कामठिया और अन्य बनाम बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप और अन्य **(2011) 3** एस**.** सी**.** सी**. 363:[2011] 3** एससीआर **291** और रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण आंबेकर और अन्य **(2020) 7**

एससीसी **275:[2020] 6** एस**.** सी**.** आर**. 303-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

ई.

[2011] 3 एससीआर **291**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

[2020] 6 एससीआर **303**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

[2015] 10 एससीआर **362**

संदर्भित किया गया है

पैरा **52**

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील Nos.7277-7278।

2017 के लेटर्स पेटेंट अपील No.22 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 30.06.2021 के निर्णय और आदेश और विविध में दिनांकित 26.08.2021 के आदेश से। 2017 के लेटर्स पेटेंट अपील No.22 में 2021 का सिविल आवेदन No.01।

जी.

मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमरजीत सिंह, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., श्याम दीवान, सीनियर एड., महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, अंशुमन श्रीवास्तव, सुश्री.

एच.

1008

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

ए.

कामाक्षी सहगल, सुश्री गीतिका शर्मा, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री अलका अग्रवाल, राजन के. चौरसिया, नवनजय महापात्रा, सुश्री प्रीति रानी, राज बहादुर यादव, अमरीश कुमार, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

बी.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलों में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2017 के लेटर पेटेंट अपील (एल. पी. ए.) संख्या 22 में 2017 के विशेष सिविल आवेदन (एस. सी. ए.) संख्या 184 में 2017 के एस. सी. ए. संख्या 5816 के साथ 2017 के लेटर पेटेंट अपील (एल. पी. ए.) संख्या 22 में पारित 30 जून 2021 के फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है, और उपरोक्त एल. पी. ए. में 2021 के विविध सिविल आवेदन संख्या 1 को चुनौती दी गई है, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैंः

सी.

“(i) वह अपीलार्थी -सी. डब्ल्यू. सी. को आज से तीन महीने का समय दिया गया हैः-

डी.

(क) प्रत्यर्थी -ए. पी. एस. ई. जेड. एल. द्वारा विकसित एस. ई. जेड. क्षेत्र के भीतर 34 एकड़ भूमि में स्थित अपनी गोदाम सुविधा के संबंध में एस. ई. जेड. अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से एस. ई. जेड. अनुपालन इकाई के रूप में अनुमोदन प्राप्त करना और प्राप्त करना;

या

ई.

(ख) एस. ई. जेड. इकाई के रूप में एस. ई. जेड. अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए शर्तों से छूट प्राप्त करना और सक्षम प्राधिकरण सी. डब्ल्यू. सी. के ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, यदि उसके द्वारा दायर किया गया हो, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा;

एफ.

(ii) यदि सी. डब्ल्यू. सी. तीन महीने की उपरोक्त अवधि के भीतर एस. ई. जेड. अनुपालन इकाई या छूट के रूप में ऐसी मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहता है, तो प्रत्यर्थी -ए. पी. एस. ई. जेड. एल. एस. ई. जेड. क्षेत्र के बाहर लगभग 34 एकड़ के समान आकार की भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, जैसा कि सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा पहले से ही पहचाना और चुना गया है, अपीलार्थी -सी. डब्ल्यू. सी. के लिए लगभग उसी आकार की गोदाम सुविधा के निर्माण के लिए जो प्रस्ताव Nos.1 और 2 के तहत पक्षों के बीच दिनांक 9.3.2019 के पत्र में सहमति हुई थी और सी. डब्ल्यू. सी. के बाद के पत्राचार और बोर्ड प्रस्ताव दिनांक 12.6.2019 और इस न्यायालय में दायर पक्षों के हलफनामों द्वारा पुष्टि की गई थी।प्रत्यर्थी द्वारा भूमि का ऐसा अधिग्रहण और गोदाम का निर्माण-ए. पी. एस. ई. जेड. एल. पूरा किया जा सकता है।

जी.

एच.

1009

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) [बी. आर. गवई, जे.] ए.

उपरोक्त खंड (i) में तीन महीने की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर और इसे अपीलार्थी -सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा कब्जा करने के लिए सी. डब्ल्यू. सी. को ऐसे नियमों और शर्तों पर प्रस्तुत किया जा सकता है जो पार्टियों के बीच पिछले समझौते के अनुरूप दिनांक 2.6.2004 या ऐसी पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के तहत हों जो पार्टियों के बीच नए सिरे से सहमत हों।

बी.

न्यायालय(न्यायालय i न्यायालय i न्यायालय i न्यायालय)न्यायालय
न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयडन्यायालयबन्यायालयन्यायालयलन्यायालयन्यायालययन्यायालयून्यायालय.न्यायालय
न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयदन्यायालयन्यायालयवन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालयपन्यायालयहन्यायालयलन्यायालयेन्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय

न्यायालयहन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयचन्यायालयिन्यायालयनन्यायालय्न्यायालयहन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयचन्यायालययन्यायालयनन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय न्यायालयईन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयजन्यायालयेन्यायालयडन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयकन्यायालय्न्यायालयषन्यायालयेन्यायालयतन्यायालय्न्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयबन्यायालयान्यायालयहन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयभन्यायालयून्यायालयमन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय न्यायालयपन्यायालयून्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयमन्यायालयान्यायालयणन्यायालय,न्यायालय
अपीलार्थी न्यायालय-न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयडन्यायालयबन्यायालय्न्यायालयलन्यायालय्न्यायालययन्यायालयून्यायालय.न्यायालय
न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय
न्यायालयपन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयसन्यायालय्न्यायालयतन्यायालयुन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयान्यायालयनन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयान्यायालयदन्यायालय,न्यायालय अपीलार्थी न्यायालय-
न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयडन्यायालयबन्यायालय्न्यायालयलन्यायालय्न्यायालययन्यायालयून्यायालय.न्यायालय
न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय प्रत्यर्थी न्यायालय-न्यायालयएन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयईन्यायालय.न्यायालय न्यायालयजन्यायालयेन्यायालयडन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयएन्यायालयलन्यायालय.न्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय अपीलार्थी
न्यायालय-न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयडन्यायालयबन्यायालय्न्यायालयलन्यायालय्न्यायालययन्यायालयून्यायालय.न्यायालय
न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयइन्यायालयसन्यायालय न्यायालयतन्यायालयरन्यायालयहन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयचन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयतन्यायालयीन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयभन्यायालयीन्यायालयतन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय न्यायालयईन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयजन्यायालयेन्यायालयडन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयकन्यायालय्न्यायालयषन्यायालयेन्यायालयतन्यायालय्न्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयभन्यायालयीन्यायालयतन्यायालयरन्यायालय

न्यायालयसन्यायालय्न्यायालयथन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयउन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायालय न्यायालय 3 न्यायालय 4 न्यायालय
न्यायालयएन्यायालयकन्यायालयडन्यायालय़न्यायालय
न्यायालयभन्यायालयून्यायालयमन्यायालयिन्यायालय न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयभन्यायालयंन्यायालयडन्यायालयान्यायालयरन्यायालयणन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयुन्यायालयवन्यायालयिन्यायालयधन्यायालयान्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयौन्यायालयजन्यायालयून्यायालयदन्यायालयान्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालयिन्यायालयसन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय न्यायालयखन्यायालयान्यायालयलन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालय न्यायालयदन्यायालयेन्यायालयगन्यायालयान्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयतन्यायालयमन्यायालयान्यायालयनन्यायालय
न्यायालयभन्यायालयंन्यायालयडन्यायालयान्यायालयरन्यायालयणन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयुन्यायालयवन्यायालयिन्यायालयधन्यायालयान्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय न्यायालय 3 न्यायालय 4 न्यायालय
न्यायालयएन्यायालयकन्यायालयडन्यायालय़न्यायालय
न्यायालयभन्यायालयून्यायालयमन्यायालयिन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयशन्यायालयान्यायालयंन्यायालयतन्यायालयिन्यायालयपन्यायालयून्यायालयरन्यायालय्न्
यायालयणन्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयखन्यायालयान्यायालयलन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयबन्यायालय्न्यायालयजन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय प्रत्यर्थी न्यायालय-न्यायालयएन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयई्न्यायालय.न्यायालय न्यायालयजन्यायालयेन्यायालयडन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयएन्यायालयलन्यायालय.न्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय विद्वान न्यायालय-
न्यायालयएन्यायालय.न्यायालय न्यायालयपन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय न्यायालयई्न्यायालय.न्यायालय
न्यायालयजन्यायालयेन्यायालयडन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयएन्यायालयलन्यायालय.न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयचन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयतन्यायालयीन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयअन्यायालयवन्यायालयधन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयभन्यायालयीन्यायालयतन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयौन्यायालयंन्यायालयपन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय

न्यायालयबन्यायालयान्यायालयधन्यायालयन्यायालययन्यायालय
न्यायालयहन्यायालयोन्यायालयगन्यायालयान्यायालय न्यायालयकन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय न्यायालयईन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयजन्यायालयेन्यायालयडन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयन्यायालयषन्यायालयेन्यायालयतन्यायालयन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयबन्यायालयान्यायालयहन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयन्यायालयथन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयभन्यायालयून्यायालयमन्यायालयिन्यायालय न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयईन्यायालय
न्यायालयभन्यायालयंन्यायालयडन्यायालयान्यायालयरन्यायालयणन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयुन्यायालयवन्यायालयिन्यायालयधन्यायालयान्यायालय
न्यायालयलन्यायालयेन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयतन्यायालयैन्यायालययन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय।न्यायालय

सी.

डी.

ई.

(v) प्रकाशित शुल्क या बाजार शुल्क या अन्यथा के आधार पर सी. डब्ल्यू. सी. के भविष्य के व्यावसायिक नुकसान के हामीदारी के बारे में प्रस्ताव संख्या 3 के संबंध में, पक्षों को विकास आयुक्त की मदद से या उच्च न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत मध्यस्थता प्रक्रिया की मदद से इस मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जहां वरिष्ठ प्रशिक्षित मध्यस्थों की सेवाओं को उचित समय पर पक्षों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

एफ.

जी.

(vi) उपरोक्त निर्देशों में शामिल 18 महीने की समय सीमा की उपरोक्त अवधि के लिए, खंड (i) के तहत तीन महीने और खंड (ii) के तहत एक साल या 12 महीने और खंड (iii) के तहत खाली कब्जे को सौंपने के लिए तीन महीने, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश

एच.

11.1.2017 दोनों पक्षों के बीच काम करना जारी रहेगा।(vii) कि यदि बाध्यकारी कारणों से उपरोक्त समय अवधि (अवधि) का विस्तार बहुत आवश्यक हो जाता है, तो दोनों पक्ष 2017 का विशेष दीवानी आवेदन होने के कारण लंबित रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश को आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे और विद्वान एकल न्यायाधीश आवेदक-पक्ष के आचरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा और समय दे सकते हैं जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समीचीन और आवश्यक माना जा सकता है।"

बी.

3. 26 अगस्त 2021 के एक आदेश द्वारा, विवादित निर्णय और आदेश को निम्नानुसार संशोधित किया गयाः

"3. "सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा पहले से ही पहचाने गए और चुने गए" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्दों को दिनांकित 30.06.2021 के निर्णय के पैराग्राफ 33 (ii) और (iii) में प्रतिस्थापित किया जाएगाः

सी.

"प्रत्यर्थी ए. पी. एस. ई. जेड. एल. द्वारा चिन्हित और प्रस्तावित किया गया और अंत में सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा वर्तमान निर्णय में निर्धारित समय-सीमा के अधीन चुना गया।""

डी.

4. उपरोक्त निर्देशों से व्यथित होकर, अपीलार्थी-केंद्रीय भंडारण निगम (संक्षेप में, "सी. डब्ल्यू. सी".) ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

5. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

ई.

अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957 में देश भर में गोदामों और कंटेनर माल ढुलाई स्टेशनों के संचालन द्वारा कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।वर्ष 1962 में भंडारण निगम अधिनियम, 1962 (संक्षेप में, "1962 अधिनियम") अधिनियमित किया गया।इस प्रकार, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. 1962 के अधिनियम के तहत एक सांविधिक निगम बन गया। वर्ष 2000-2001 में, गुजरात समुद्री बोर्ड (संक्षेप में, "GMB") ने एक पट्टा और कब्जा समझौते को निष्पादित किया, जिससे गुजरात अडानी पोर्ट

लिमिटेड (संक्षेप में, "GAPL") को न्यू मुंद्रा पोर्ट सीमा के भीतर एक अविकसित भूमि का पट्टा दिया गया।उक्त पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था।उक्त समझौते के माध्यम से, जी. एम. बी. ने बंदरगाह और अन्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए जी. ए. पी. एल. को 17 फरवरी 2001 के एक रियायत समझौते के तहत विकास अधिकार भी प्रदान किए।

एफ.

जी.

6. 2 जून 2004 के एक समझौते के अनुसार, जी. ए. पी. एल. ने एक गोदाम स्थापित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को लगभग 34 एकड़ भूमि का एक भूखंड उप-पट्टे पर दिया, जिसका उपयोग ए.

एच.

1011

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) [बी. आर. गवई, जे.] ए.

खाद्यान्न, अधिसूचित वस्तुएँ और संबंधित गतिविधियाँ।भूमि का पट्टा 16 फरवरी 2031 तक की अवधि के लिए था।उक्त समझौते के निष्पादन के बाद और 1 अक्टूबर 2004 को अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को उक्त भूमि का कब्जा सौंप दिए जाने के बाद, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने 33,000 एम. टी. की क्षमता वाले दो गोदाम स्थापित किए। अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने भी Rs.603 प्रति वर्ग कि. मी. की दर से भुगतान किया।मीटर, यानी लगभग रु। वर्ष 2005 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8 करोड़ 29 लाख रुपये।

बी.

7. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, "एस. ई. जेड. अधिनियम") 23 जून 2005 को लागू हुआ।विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 (संक्षेप में, "एस. ई. जेड. नियम") को भी 10 फरवरी 2006 को अधिसूचित किया गया था।भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 23 जून 2006 को जारी अधिसूचना के माध्यम से (संक्षेप में, "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय")I), एक विशाल क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र (संक्षेप में, "एस. ई. जेड".) के रूप में अधिसूचित किया गया।अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने एस. ई. जेड. से उक्त 34 एकड़ भूमि के परिसीमन/अधिसूचना रद्द करने के लिए 10 अप्रैल 2015 को सी. एंड आई. मंत्रालय को एक अभ्यावेदन दिया। वर्ष 2017 तक, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को उक्त क्षेत्र का उपयोग करने में कोई बाधा नहीं थी।

सी.

डी.

8. 5 जनवरी 2017 को प्रत्यर्थी पोट्र्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (जिसे इसके बाद "ए. पी. एस. ई. जेड. एल". के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को एक पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने खंड 4.2 का उल्लंघन किया है।3 2 जून 2004 के समझौते के अनुसार, जिसमें अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. को उप-पट्टे पर दिए गए परिसरों और अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों से संबंधित लागू कानून के तहत सभी अनुमोदन, सहमति और परमिट प्राप्त करने और उनका पालन करने की आवश्यकता होती है। उक्त संचार के माध्यम से, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को सूचित किया गया कि ए. पी. एस. ई. जेड. एल. ने गेट-पास जारी करना बंद करने का निर्णय लिया है, और आगे यह कि वह अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को भंडारण गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

ई.

एफ.

9. 5 जनवरी, 2017 को भेजे गए पत्र से व्यथित होकर और यह आरोप लगाते हुए कि इससे वाहनों की मुक्त आवाजाही और भंडारण सुविधा में रखे जाने वाले खाद्यान्नों आदि के परिवहन में बाधा आ रही है, अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की एस. सी. ए. संख्या 184 के रूप में पहली रिट याचिका दायर की।चूंकि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने नोटिस जारी करते समय अंतरिम राहत नहीं दी, इसलिए अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने 2017 का एल. पी. ए. संख्या 22 दायर विद्वान ।उक्त एल. पी. ए. में, 11 जनवरी 2017 के आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक अंतरिम राहत प्रदान की थी और प्रतिवादियों को अनुमति देने का निर्देश दिया था

जी.

एच.

अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. गोदाम से आने-जाने वाली अपनी वस्तुओं के भंडारण और परिवहन की गतिविधियों को अंजाम देगा।प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक परिवहन के लिए गेट पास जारी करने का भी निर्देश दिया गया था।

10. अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि इस बीच, अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. के एस. ई. जेड. क्षेत्र से अपने कब्जे में 34 एकड़ भूमि के परिसीमन/अधिसूचना रद्द करने के अनुरोध पर, जिस पर विचार किया जाना बाकी था, सी. एंड आई. मंत्रालय द्वारा 17 जनवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. के उक्त भूमि का परिसीमन/अधिसूचना रद्द करने के उक्त अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया था।उक्त संचार 25 जनवरी 2017 को अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को सूचित किया गया था।इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की एस. सी. ए. संख्या 5816 के रूप में दूसरी रिट याचिका दायर की।11. ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद, उक्त एल. पी. ए. विभिन्न अवसरों पर खंड पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। आगे यह भी प्रतीत होता है कि मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के प्रयास भी किए गए थे।डिवीजन बेंच द्वारा 26 अप्रैल 2019 को पारित आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि एपीएसईजेडएल द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था कि एसईजेड की सीमा के बाहर भूमि का एक समतुल्य भूखंड निर्धारित किया जाएगा, जिसके बाद उक्त तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर एपीएसईजेडएल के खर्च पर समान आकार के गोदाम का निर्माण किया जाएगा।तब तक, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को 2 जून 2004 के समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी जानी थी।एपीएसईजेडएल का उक्त प्रस्ताव 12 जून 2019 को अपीलार्थी-सीडब्ल्यूसी (इसके बाद "बीओडी" के रूप में संदर्भित) के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।बीओडी ने उक्त प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया।

बी.

सी.

डी.

ई.

12. इसके बाद, मामले को फिर से कुछ तारीखों पर डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।28 जनवरी 2021 को, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. की ओर से अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के प्रबंध निदेशक (संक्षेप में, "एम. डी".) से निर्देश लेने के लिए फिर से स्थगन की मांग की गई थी। उक्त तिथि के आदेश के अनुसार, खंड पीठ ने अंतिम अवसर के रूप में समय दिया और मामले को 9 फरवरी 2021 को पोस्ट करने का निर्देश दिया गया।9 फरवरी 2021 को मामले को 18 फरवरी 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया था।चूंकि दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि समझौता संभव नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय ने मामले को 17 मार्च 2021 को रखने का निर्देश दिया।इसके बाद, कोविड के कारण, मामले को सूचीबद्ध नहीं किया जा सका और अंत में, इसे 30 जून 2021 को सूचीबद्ध किया गया, जिस तारीख को विवादित निर्णय और आदेश पारित किया गया था।

एफ.

जी.

एच.

1013

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

13. हमने अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान को सुना है।

14. श्री मनिंदर सिंह ने कहा कि खंड पीठ इस बात पर विचार करने में विफल रही है कि अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. के कब्जे में 34 एकड़ के क्षेत्र को एस. ई. जेड. क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जा सकता था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि एस. ई. जेड. नियमों के नियम 7 के अनुसार, विकासकर्ता को एस. ई. जेड. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक विवरण केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त जानकारी के साथ, विकासकर्ता को कानूनी अधिकार और कब्जे का प्रमाण और राज्य सरकार या अधिकृत एजेंसी से एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है कि उक्त क्षेत्र सभी बाधाओं से मुक्त है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. ई. जेड. नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) के अनुसार, चिन्हित क्षेत्र को सन्निहित और खाली होना आवश्यक है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि ए. पी. एस. ई. जेड. एल. ने इस तथ्य को दबा दिया है कि 34 एकड़ के उक्त क्षेत्र का कब्जा उसके पास नहीं था, बल्कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के पास था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि इस तथ्य को अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता, तो अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. के कब्जे वाले क्षेत्र को एस. ई. जेड. क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जा सकता था।

बी.

सी.

डी.

15. श्री मनिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया कि 2 जून 2004 के समझौते के खंड 2 से ही यह स्पष्ट है कि एपीएसईजेडएल (तत्कालीन जीएपीएल) द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार अपीलकर्ता-सीडब्ल्यूसी द्वारा भंडारण अवसंरचना और पट्टे पर दिए गए परिसर की स्थापना की आवश्यकता थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त खंड के अनुसार, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने 25 जुलाई 2006 को योजनाएं प्रस्तुत की थीं।उक्त योजनाओं को तत्कालीन जी. ए. पी. एल. द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, उपरोक्त के अलावा, तत्कालीन जी.

ए. पी. एल. स्वयं वर्ष 2006 से अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा प्रदान की गई भंडारण सुविधाओं का उपयोग कर रहा है।

ई.

एफ.

16. श्री सिंह ने आगे कहा कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसके बाद "सीएएफ और पीडी मंत्रालय" के रूप में संदर्भित किया गया है), जो अपीलकर्ता-सीडब्ल्यूसी का नियंत्रक मंत्रालय है, भी अपीलकर्ता-सीडब्ल्यूसी के रुख का समर्थन करता रहा है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी एंड आई मंत्रालय, एक असमर्थनीय आधार पर, अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. के अनुरोध को अस्वीकार कर रहा है ताकि उसके द्वारा कब्जा की गई भूमि का परिसीमन/अधिसूचना रद्द की जा सके।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, हालांकि सी एंड आई मंत्रालय ने मामले में एक रुख अपनाया है

जी.

एच.

अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने कहा कि एस. ई. जेड. अधिनियम और नियमों में कोई प्रावधान नहीं है जो अधिकारियों को अनुरोध के अनुसार छूट देने का अधिकार देता है, सी. ए. एफ. और पी. डी. मंत्रालय ने 13 सितंबर 2013 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचित किया है कि कुछ मामलों में इस तरह के अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, केवल यही नहीं, बल्कि 31 मई 2013 और 4 जुलाई 2019 की अधिसूचनाओं के माध्यम से, एपीएसईजेडएल के अनुरोध पर उक्त एसईजेड क्षेत्रों से कुछ क्षेत्रों को चित्रित/अधिसूचित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब इस तरह के अनुरोध को ए. पी. एस. ई. जेड. एल. के कहने पर अनुमति दी जा सकती है, तो इस बात का कोई तुक या कारण नहीं है कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के अनुरोध पर सी. एंड आई. मंत्रालय द्वारा विचार क्यों नहीं किया जा सका।

बी.

सी.

17. श्री सिंह ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को दोष देने में पूरी तरह से गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ कि

अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को मामले में अहंकार था और उचित नहीं था, पूरी तरह से अनुचित हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और आदेश लगभग अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. पर समझौते का एक हिस्सा थोप रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. के प्रकाशित शुल्क के अनुसार गोदाम को किराए पर नए स्थान पर स्थानांतरित करना किसी व्यक्ति का एकमात्र निर्णय नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बी. ओ. डी. ने तीन शर्तों पर समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।वास्तव में, ए. पी. एस. ई. जेड. एल. ने स्वयं 9 मार्च 2017 को अपने संचार के माध्यम से तीनों शर्तों पर सहमति व्यक्त की थी। हालाँकि, यह एकतरफा रूप से, 10 जून 2019 के संचार के माध्यम से, तीसरी स्थिति से हटा दिया गया।यद्यपि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को पहली दो शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है, लेकिन वह ए. पी. एस. ई. जेड. एल. को तीसरी शर्त का पालन करने का निर्देश देने में विफल रहा है।

डी.

ई.

18. श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि एस. ई. जेड. क्षेत्रों से उक्त भूमि के परिसीमन/अधिसूचना रद्द करने के लिए अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. के प्रस्ताव को अस्वीकार करने में सी. एंड आई. मंत्रालय का 17 जनवरी, 2017 के अपने आदेश के माध्यम से आचरण स्वयं संदेह के घेरे में है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2017 के एस. सी. ए. सं. 184 में, नोटिस 10 जनवरी 2017 को जारी किया गया था जिसे 17 जनवरी 2017 को वापस किया जा सकता है।हालाँकि, उसी दिन सी एंड आई मंत्रालय की बैठक के कार्यवृत्त पारित होने तक, उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।यह देखा गया है कि जिस दिन नोटिस को वापस करने योग्य बनाया गया था, उसी दिन मामले पर निर्णय लेने में सी एंड आई मंत्रालय का आचरण उसके आचरण की मात्रा को दर्शाता है।

एफ.

जी.

19. इसके विपरीत, श्री दीवान ने कहा कि जहां तक 2017 की एस. सी. ए. संख्या 184 की रिट याचिका का संबंध है, वह बिल्कुल भी ए नहीं है।

एच.

1015

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) [बी. आर. गवई, जे.] ए.

सहन करने योग्य।उन्होंने कहा कि ए. पी. एस. ई. जेड. एल. एक सार्वजनिक निकाय नहीं है और इस तरह, इसके खिलाफ एक रिट मान्य नहीं होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक दूसरी रिट याचिका 2017 की एस. सी. ए. संख्या 5816 का संबंध है, उक्त कार्यवाही में कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई है।श्री दीवान ने आगे कहा कि अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा 23 जून 2006 की अधिसूचना को कोई चुनौती नहीं दी गई है।उक्त अधिसूचना एस. ई. जेड. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. ने 23 जून 2006 की उक्त अधिसूचना की वैधता को चुनौती नहीं दी है, इसलिए वैधानिक प्रावधानों के विपरीत, उसके द्वारा दायर उक्त रिट याचिका में कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

बी.

20. श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि 26 मार्च 2007 को ही एपीएसईजेडएल ने अपीलकर्ता-सीडब्ल्यूसी को एक वैकल्पिक स्थान पर एक समतुल्य भूखंड आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था।उक्त प्रस्ताव को एपीएसईजेडएल द्वारा 23 मई 2007 को दोहराया गया था।31 अगस्त 2007 को एक अन्य संचार के माध्यम से, ए. पी. एस. ई. जेड. एल. ने कम से कम तीन साल की अवधि के लिए उप-पट्टे वाले क्षेत्र में निर्मित होने वाली भंडारण सुविधा का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है।हालाँकि, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा इसका सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार, ए. पी. एस. ई. जेड. एल. को 5 जनवरी 2017 को एक पत्र जारी करना आवश्यक था क्योंकि भंडारण सुविधा को जारी रखना एस. ई. जेड. अधिनियम का उल्लंघन था।

सी.

डी.

21. श्री दीवान ने कहा कि एस. ई. जेड. नियमों के नियम 17 के अवलोकन से पता चलेगा कि एस. ई. जेड. में एक इकाई की स्थापना के लिए विकास आयुक्त को अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। एस. ई. जेड. नियमों के नियम 18 (2) (आई) के तहत, यह आवश्यक है कि प्रस्ताव सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता को पूरा करे।एस. ई. जेड. नियमों के नियम 19 के तहत, जब तक प्रस्ताव को अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है और जब तक विकास आयुक्त फॉर्म जी में अनुमोदन पत्र जारी नहीं करता है, तब तक कोई इकाई स्थापित नहीं की जा सकती है।श्री दीवान ने प्रस्तुत किया है कि नियम 11 का उप-नियम (v) स्थिति को स्पष्ट करेगा।श्री दीवान ने आगे कहा है कि सी एंड आई मंत्रालय द्वारा 13 सितंबर 2013 को जारी किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिसीमन/अधिसूचना रद्द करने के प्रस्ताव पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि इस तरह के प्रस्ताव में संबंधित राज्य सरकार से स्पष्ट 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' न हो।

ई.

एफ.

जी.

22. श्री दीवान ने आगे कहा कि एस. ई. जेड. अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों को देखते हुए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों का एक प्रबल प्रभाव होगा।उन्होंने आगे कहा है कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा विभिन्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखा गया है जिन्हें नहीं रखा गया था।

एच.

उच्च न्यायालय के समक्ष और इस तरह, उसी पर विचार नहीं किया जा सकता है।

23. श्री दीवान ने आगे कहा कि, वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. ने 17 अगस्त 2021 को विकास आयुक्त को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें विचाराधीन भूखंड के परिसीमन/अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध किया गया था।विकास आयुक्त द्वारा 7 सितंबर 2021 के अपने आदेश द्वारा इसे पहले ही खारिज कर दिया गया है।इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तव में, वर्तमान कार्यवाही में कुछ भी नहीं बचा है।

बी.

24. जहां तक एस. ई. जेड. नियमों के नियम 7 के प्रावधानों का पालन न करने के संबंध में अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. के तर्क का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदन 9 जनवरी 2004 को पुरानी व्यवस्था के तहत तत्कालीन जी. ए. पी. एल. द्वारा किया गया था। 12 फरवरी 2004 को इसे मंजूरी दी गई थी।यह अधिसूचना 5 जुलाई 2004 को जारी की गई थी।इस प्रकार, एस. ई. जेड. अधिनियम, जो वर्ष 2005 में लागू हुआ है और एस. ई. जेड. नियम वर्ष 2006 में लागू नहीं होंगे।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उस ओर से दिए गए तर्क आधारहीन हैं।

सी.

डी.

25. श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि हालांकि एपीएसईजेडएल अपीलकर्ता-सीडब्ल्यूसी को एक वैकल्पिक साइट प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं था, लेकिन यह अपीलकर्ता-सीडब्ल्यूसी को उसी आकार की एक वैकल्पिक साइट देने के लिए स्वेच्छा से सहमत हो गया।इतना ही नहीं, यह उसी आकार के गोदामों के निर्माण के लिए भी सहमत हुआ जो अस्तित्व में थे।इस प्रकार, जो निर्देश जारी किए गए थे, वे वास्तव में अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के लाभ के लिए हैं और

इस बात का कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को इसे क्यों चुनौती देनी चाहिए थी।श्री दीवान कृष्णादेवी मालचंद के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर निर्भर हैं।

ई.

कामथिया और अन्य बनाम बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप और अन्य **1** और रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगाराम नारायण

एफ.

आंबेकर और अन्य 2 इस प्रस्ताव के समर्थन में कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने 5 जुलाई 2004 की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है, इसके विपरीत बहस करने से रोक दिया गया है।

26. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, वर्तमान मामले को कानून के आधार पर तय करने के बजाय, अभिलेख से सामने आने वाली तथ्यात्मक स्थिति पर तय करने की आवश्यकता है।यह विवाद में नहीं है कि वर्ष 2000-2001 में जी. एम. बी. द्वारा तत्कालीन जी. ए. पी. एल. को भूमि पट्टे पर दिए जाने के बाद, इसने 2 जून 2004 को अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के साथ एक समझौता किया।

जी.

1 (2011) 3 एससीसी 363 2 (2020) 7 एससीसी 275 ए

एच.

1017

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) [बी. आर. गवई, जे.] ए.

इसका क्षेत्रफल 34 एकड़ है।यह भी विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को उक्त भूखंड के कब्जे में रखा गया था और उसी पर गोदाम का निर्माण किया गया था।यह भी विवाद में नहीं है कि गोदाम के निर्माण के बाद, भंडारण सुविधाओं का उपयोग तत्कालीन जी. ए. पी. एल. द्वारा किया जा रहा था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2007 में, पहली बार, तत्कालीन जी. ए. पी. एल. ने अदला-बदली की गई भूमि पर भूमि की अदला-बदली और गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।यह आगे प्रतीत होता है कि हालांकि कुछ संचारों को संबोधित किया गया था, लेकिन 5 जनवरी 2017 तक अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के संचालन में कोई बाधा नहीं थी।5 जनवरी 2017 के संचार के अवलोकन से यह देखा गया है कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को उक्त परिसर में गतिविधियों को जारी रखने से रोक दिया गया था।इसमें आगे कहा गया है कि अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. एस. ई. जेड. के लिए तब तक गेट पास प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक कि अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. एस. ई. जेड. अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में एस. ई. जेड. इकाई के रूप में विकास आयुक्त (डी. सी.) से अनुमोदन पत्र (एल.

ओ. ए.) प्राप्त नहीं कर लेता। या, (ख) एस. ई. जेड.-अनुपालन इकाई के रूप में अनुमोदित होने की आवश्यकता को माफ करके एस. ई. जेड. में उक्त परिसर में भंडारण और भराई आदि की गतिविधियों को करने के लिए डी. सी. से विशिष्ट अनुमति प्राप्त करता है।

बी.

सी.

डी.

27. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि 5 जनवरी 2017 को उक्त संचार पारित होने के तुरंत बाद, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने 2017 का एस. सी. ए. सं. 184 दाखिल किया। उक्त रिट याचिका में, 10 जनवरी 2017 के आदेश के अनुसार, 17 जनवरी 2017 को वापस करने योग्य नोटिस जारी किया गया था।चूंकि उक्त रिट याचिका में अंतरिम राहत नहीं दी गई थी, इसलिए अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. ने 2017 की एल. पी. ए. संख्या 22 को प्राथमिकता दी, जिसमें खंड पीठ ने 11 जनवरी 2017 का आदेश पारित किया है, जो इस प्रकार हैः“4. 5 जनवरी 2007 के संचार में, एस. ई. जेड. नियमों के नियम 11 (5) और नियम 11 (7) का संदर्भ दिया गया है, उक्त नियमों की प्रयोज्यता या अन्यथा एक ऐसा मामला है जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित याचिका में विचार विद्वान जाना आवश्यक है।जैसा कि अपीलार्थी का मामला है कि 2005 से, अपीलार्थी निगम अनाज के भंडारण और परिवहन के लिए निर्माण करने के बाद पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का उपयोग कर रहा है, यदि अचानक उन्हें इसका उपयोग करने से रोक दिया जाता है, तो जनहित प्रभावित होगा।उसी को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम राहत के माध्यम से, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी-निगम को गोदाम के अंदर और बाहर अपनी वस्तुओं के भंडारण और परिवहन की गतिविधि करने की अनुमति दें।उत्तरदाताओं को सुनवाई की अगली तारीख तक परिवहन के लिए आवश्यक गेट पास जारी करने का निर्देश दिया जाता है।”

ई.

एफ.

जी.

एच.

28. ऐसा प्रतीत होता है कि 2017 के एस. सी. ए. सं. 184 में नोटिस जारी किए जाने के बाद, जो 17 जनवरी 2017 को वापस करने योग्य था, विकास आयुक्त, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के प्रबंध निदेशक और ए. पी. एस. ई. जेड. एल. के अध्यक्ष के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी। 17 जनवरी, 2017 की उक्त बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

"2. पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए, ए. पी. एस. ई. जेड. के डी. सी. ने बताया कि दिसंबर 2002 में सी. डब्ल्यू. सी. ने ए. पी. एस. ई. जेड. के साथ एस. ई. जेड. में 40 एकड़ और 34 एकड़ के दो भूखंडों के लिए समझौता किया है।34 एकड़ के भूखंड के लिए पट्टा समझौता, जो अब विवाद में है, जून 2004 में हस्ताक्षरित किया गया था।सी. डब्ल्यू. सी. ने इसे अपने कब्जे में ले लिया लेकिन राजस्व अधिकारियों के साथ समझौता पंजीकृत नहीं कराया।उन्होंने बताया कि बाद में, 23.06.2006 पर, मुंद्रा एस. ई. जेड. एल., जिसे अब ए. पी. एस. ई. जेड. एल. कहा जाता है, को अधिसूचित किया गया था जिसमें सी. डब्ल्यू. सी. के पास 34 एकड़ जमीन शामिल थी। सी. डब्ल्यू. सी. ने भूमि के टुकड़े पर अपने गोदाम का निर्माण किया। सितंबर 2008 में, डीसी, एपीएसईजेड ने एसईजेड अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का पालन न करने के लिए सीडब्ल्यूसी को नोटिस जारी किया और एपीएसईजेडएल से सीडब्ल्यूसी के साथ भूखंडों को एसईजेड सीमा से बाहर करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया।सी. डब्ल्यू. सी. ने 14.10.2008 पर ए. पी. एस. ई. जेड. लिमिटेड से अपने दोनों भूखंडों को एस. ई. जेड. सीमा से बाहर करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया। हालांकि ई. जी. ओ. एम. ने अक्टूबर 2008 में 23.06.2006 की अधिसूचना से पहले निर्मित बंदरगाह क्षेत्र में पहले से मौजूद संरचनाओं को चित्रित करने का निर्णय लिया था, सी. डब्ल्यू. सी. के साथ भूखंड को चित्रित नहीं किया गया था क्योंकि शायद सी. डब्ल्यू. सी. गोदाम 23.06.2006 के बाद आया था।उन्होंने उल्लेख किया कि सी. डब्ल्यू. सी. अपने गोदाम में कंटेनर भर रहा है जो एस. ई. जेड. अधिनियम और नियमों के प्रावधान के खिलाफ था।डेवलपर ने 19.03.2015 पर सी. डब्ल्यू. सी. को गोदाम से सभी गतिविधियों को बंद करने के लिए कहा।इसके बाद, 10.04.2015 पर, सी. डब्ल्यू. सी. ने एस. ई. जेड. से गोदाम का सीमांकन करने के लिए डी. ओ. सी. से संपर्क किया। अक्टूबर 2015 में, डेवलपर ने सी. डब्ल्यू. सी. को एक वैकल्पिक साइट की पेशकश की, जिसे सी. डब्ल्यू. सी. ने अस्वीकार कर दिया। यह भी कहा गया कि 05.01.2017 पर, डेवलपर ने सी. डब्ल्यू. सी. को इसके संचालन को रोकने के लिए लिखा और सी. डब्ल्यू. सी. ने गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय से इस पत्र के खिलाफ रोक प्राप्त की।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

3. सी. डब्ल्यू. सी. के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने 2004 में ए. पी. एस. ई. जेड. एल. के साथ 30 साल की अवधि के लिए समझौता किया है।एपीएसईजेड ने सीडब्ल्यूसी को सूचित नहीं किया था कि विचाराधीन भूमि को प्रस्तावित एसईजेड में शामिल किया गया था जिसे जून, 2006 में अधिसूचित किया गया था।यह भी कहा गया कि चूंकि सी. डब्ल्यू. सी. ने रु. गोदाम के निर्माण में 60 करोड़, सीवीसी ने दी थी सलाह ए

जी.

एच.

1019

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) [बी. आर. गवई, जे.] ए.

कि यह उचित व्यवस्था के बिना बाहर नहीं जाना चाहिए।यह भी कहा गया कि वर्तमान में एम. एम. टी. सी. भारत सरकार के लिए बफर स्टॉक के रूप में 26,000 टन आयातित दालों का भंडारण कर रहा है। चूँकि ए. पी. एस. ई. जेड. एल. ने मनमाने ढंग से इस भंडारण को रोक दिया था और इसलिए सी. डब्ल्यू. सी. को रोक के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।सी. डब्ल्यू. सी. के प्रतिनिधियों ने इसलिए दोहराया कि चूंकि वे ए. पी. एस. ई. जेड. से 30 साल के पट्टे का समझौता कर रहे हैं, वे केंद्र सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम हैं, वे पहले ही 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुके हैं। 60 करोड़।गोदाम में और वे शांति से काम कर रहे हैं, उन्हें एस. ई. जेड. के भीतर गोदाम से व्यापार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

बी.

4. ए. पी. एस. ई. जेड. एल. के प्रतिनिधियों ने बताया कि सी. डब्ल्यू. सी. के साथ किए गए समझौते के अनुसार, 30 साल का समझौता बिना किसी जुर्माने के चार महीने के भीतर और 8 महीने के भीतर जुर्माने के साथ पंजीकृत किया जाना था।सी. डब्ल्यू. सी. ने उक्त अवधि के भीतर समझौते को पंजीकृत कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी और इसलिए समझौता अमान्य हो गया था।यह कहा गया कि ए. पी. एस. ई. जेड. सी. डब्ल्यू. सी. को एक नया गोदाम बनाने के लिए वैकल्पिक भूखंड देने के लिए तैयार था और यह भी कि उसने सी. डब्ल्यू. सी. के साथ कब्जे वाले क्षेत्र के परिसीमन और अधिसूचना रद्द करने की संभावना का पता लगाया था। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था।

सी.

डी.

5. यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी परिसीमन की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि इस तरह के परिसीमन के लिए एस. ई. जेड. अधिनियम या एस. ई. जेड. नियमों में कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए, सी. डब्ल्यू. सी. के प्रतिनिधियों को सलाह दी गई कि वे एस. ई. जेड. इकाई अधिनियम, 2005 और एस. ई. जेड. नियम, 2006 के तहत प्रावधानों और आवश्यकताओं का पता लगाने के बाद या तो एस. ई. जेड. में एस. ई. जेड. इकाई बनकर या एस. ई. जेड. में एक विकासकर्ता बनकर ए. पी. एस. ई. जेड. एल. के साथ इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाएं।यदि आवश्यक हो, तो इस मामले को विचार के लिए बी. ओ. ए. के समक्ष रखा जा सकता है।"

ई.

एफ.

29. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. एक सांविधिक निगम है।यह किसी भी अधिकारी के स्वतंत्र निर्णय के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है और इसे बी. ओ. डी. के संकल्प के अनुसार कार्य करना पड़ता है।

30. इस पृष्ठभूमि में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि वर्ष 2010 की शुरुआत में, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के निदेशकों में से एक के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (संक्षेप में, "सी. वी. सी".) के समक्ष शिकायत की गई थी।सीवीसी ने 12 जनवरी 2010 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया।उक्त कार्यालय ज्ञापन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

जी.

"2.....

एच.

((i)।

(ii) इसके अलावा, यह देखा गया है कि सी. डब्ल्यू. सी. गोदाम (एक केंद्र सरकार) की उपस्थिति के कारण। सार्वजनिक उपक्रम), रेलवे आदि जैसे अन्य संबंधित सरकारी उपक्रमों द्वारा विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियाँ की गई हैं और जिसके कारण अब भूमि/क्षेत्र का महत्व/मूल्य बहुत बढ़ गया है।इस गोदाम को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने से मैसर्स जी. ए. पी. एल. को अनुचित लाभ होगा और साथ ही सी. डब्ल्यू. सी. को न केवल व्यवसाय में कमी आएगी, बल्कि अन्य सरकारी एजेंसियों की मदद से नए स्थान पर इसी तरह का

बुनियादी ढांचा बनाने के लिए नए सिरे से संघर्ष करना होगा।यदि वर्तमान में सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में, तरल कार्गो का भंडारण किया जाएगा, तो सी. डब्ल्यू. सी. भी संभवतः वर्तमान में कब्जा किए गए क्षेत्र में तरल कार्गो भंडारण सुविधाओं को विकसित करने के बारे में सोच सकता है, जिसका उपयोग मैसर्स जी. ए. पी. एल. और अन्य द्वारा किया जा सकता है।दूसरा, थोक माल के लिए मेसर्स जी. ए. पी. एल. द्वारा प्रस्तावित एक अन्य स्थान को नए नियमों और शर्तों पर बातचीत करके हासिल किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

(iii) यह भी अनुरोध किया जाता है कि आयोग को इस संबंध में भविष्य के विकास के बारे में सूचित किया जाए।

3. आयोग ने आगे कहा है कि सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा सी. डब्ल्यू. सी. गोदाम-भाग को शामिल लागत और व्यवसाय खोने की संभावना से स्थानांतरित करने में निहित स्वार्थ हो सकता है, इसलिए, इस मुद्दे पर कड़ी जांच करना और इसकी प्रगति/विकास की निगरानी करना वांछनीय होगा।"

ई.

31. सीवीसी ने स्पष्ट रूप से देखा है कि सीडब्ल्यूसी गोदाम की उपस्थिति के कारण, रेलवे आदि जैसे अन्य संबंधित सरकारी उपक्रमों द्वारा विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियाँ की गई हैं। यह भी देखा गया है कि गोदाम को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने से जी. ए. पी. एल. को अनुचित लाभ होगा और साथ ही, अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. को न केवल व्यवसाय का नुकसान होगा, बल्कि नए स्थान पर उसी तरह का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए नए सिरे से संघर्ष करना होगा।सीवीसी ने आगे कहा कि सीडब्ल्यूसी गोदाम को स्थानांतरित करने में निहित स्वार्थ हो सकता है।

एफ.

जी.

32. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि सी एंड आई मंत्रालय यह रुख अपना रहा है कि परिसीमन/अधिसूचना रद्द करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन भारत संघ का एक अन्य मंत्रालय इसके विपरीत रुख अपना रहा है।मंत्रालय ए द्वारा संबोधित संचार का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

एच.

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) [बी. आर. गवई, जे.] ए.

सी. ए. एफ. और पी. डी. दिनांक 31 जुलाई 2017, इस प्रकार अपनी ओर से लिए जाने वाले रुख को इस प्रकार निर्दिष्ट करता हैः

“(i) जी. ए. पी. एल. और सी. डब्ल्यू. सी. के बीच दिनांकित 02.06.2004 समझौते का पंजीकरण न होने के संबंध में, सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा यह सूचित किया गया है कि जी. ए. पी. एल. द्वारा भूमि को भौतिक रूप से 01.10.2004 पर सी. डब्ल्यू. सी. को सौंप दिया गया था और उसके बाद, सी. डब्ल्यू. सी. ने भूमि पर गोदाम का निर्माण शुरू कर दिया।सी. डब्ल्यू. सी. पट्टे के किराए का भुगतान कर रहा है और जी. ए. पी. एल. इसे स्वीकार कर रहा है।यहां तक कि जी. ए. पी. एल. ने भी अपने माल को सी. डब्ल्यू. सी. के गोदामों में उसी भूमि पर संग्रहीत किया है।इस प्रकार पट्टा दोनों पक्षों द्वारा की गई कार्रवाइयों के आधार पर अस्तित्व में है।इसके अलावा, जी. ए. पी. एल. ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं किया है इसलिए समझौते को अवैध नहीं माना जा सकता है।

बी.

सी.

((ii) उप-पट्टे पर दिए गए परिसरों और गतिविधियों से संबंधित लागू कानून के तहत सभी अनुमोदन, सहमति और परमिट प्राप्त करने और उनका पालन करने के लिए सी. डब्ल्यू. सी. के दायित्वों और ए. पी. एस. ई. जेड. एल. के इस तर्क के संबंध में कि सी. डब्ल्यू. सी. एस. ई. जेड. अधिनियम के तहत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा है, यह सूचित किया जाता है कि सी. डब्ल्यू. सी. ने भंडारण गतिविधियों के लिए दिनांकित 02.06.2004 समझौते के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा किया है।सी. डब्ल्यू. सी. को एस. ई. जेड. अधिनियम के तहत कोई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह क्षेत्र बाद में एस. ई. जेड. बन गया और सी. डब्ल्यू. सी. का एस. ई. जेड. का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है और यह भी कि ए. पी. एस. ई. जेड. एल. ने तथ्यों को दबाकर एस. ई. जेड. क्षेत्र में सी. डब्ल्यू. सी. के उप-पट्टे वाले परिसर को शामिल किया है।ए. पी. एस. ई. जेड. एल. को केवल उन क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए था जो एस. ई. जेड. की अधिसूचना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उसके स्वामित्व में थे। ए. पी. एस. ई. जेड. एल. को सी. डब्ल्यू. सी. की सहमति के बिना एस. ई. जेड. की अधिसूचना के लिए सी. डब्ल्यू. सी. के उप-पट्टे पर दिए गए परिसर को शामिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सी. डब्ल्यू. सी. ने एस. ई. जेड. अधिसूचना (23.06.2006) की तारीख से बहुत पहले ही एल. एल. 0.2004 पर भूखंड का कब्जा ले लिया था।एस. ई. जेड. नियमों (अनुलग्नक-6) के अनुसार विकासकर्ता के लिए किसी भी क्षेत्र को एस. ई. जेड. के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवेदन करने के लिए भूमि का एक सन्निहित भाग होना एक प्राथमिक आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ए. पी. एस. ई. जेड.

एल. (पूर्व में, जी. ए. पी. एल.) ने उप-पट्टे पर दिए गए परिसर के बारे में जानकारी को दबा दिया है, अन्यथा उसे क्षेत्र को एस. ई. जेड. घोषित करने की मंजूरी नहीं मिलती। इस प्रकार, ए. पी. एस. ई. जेड. एल. का पूरा विवाद तथ्यों के दमन पर आधारित है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

(iii) ए. पी. एस. ई. जेड. एल. के इस तर्क के संबंध में कि सी. डब्ल्यू. सी. एस. ई. जेड. अधिनियम के तहत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा है, यह आगे सूचित किया जाता है कि विकासकर्ता के रूप में ए. पी. एस. ई. जेड. एल. का दायित्व है कि वह रेखा को हटा दे।

एच.

और एस. ई. जेड. क्षेत्र से सी. डब्ल्यू. सी. के उप-पट्टे वाले परिसर को अधिसूचित करें।चूंकि ए. पी. एस. ई. जेड. एल. ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए सी. डब्ल्यू. सी. ने अपने भूखंडों को अलग करने और अधिसूचित करने के लिए इस मामले को वाणिज्य मंत्रालय के साथ आई. डी. 1 पर उठाया।खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने भी सी. डब्ल्यू. सी. की ओर से इस मामले को वाणिज्य विभाग के समक्ष 17.07.2015 और 17.06.2016 के पत्रों के माध्यम से उठाया।(संलग्नक-2)

बी.

(iv) वाणिज्य विभाग में 17.01.2017 पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में, जिसमें यह कहा गया है कि डी-लाइनेशन की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि इस तरह के डी-लाइनेशन के लिए एस. ई. जेड. अधिनियम और एस. ई. जेड. नियमों में कोई प्रावधान नहीं था, खाद्य और पी. डी. विभाग का विचार है कि वाणिज्य विभाग का रुख सही नहीं है।वास्तव में, एस. ई. जेड. के भीतर के क्षेत्रों के डी-लाइनेशन/आंशिक डी-अधिसूचना के प्रावधान हैं जिन्हें वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र सं. D. J2/4S/2009-SEZ दिनांक 13.09.2013 (अनुलग्नक-3)। हालांकि, इन प्रावधानों के अनुसार, यह डेवलपर यानी एपीएसईजेडएल की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह के डी-लाइनेशन या आंशिक डी-अधिसूचना के लिए कार्रवाई करे।18.01.2013

(अनुलग्नक-4) पर प्रकाशित द हिंदू बिजनेस लाइन की समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह की आंशिक अधिसूचना रद्द करने की मिसाल है, जो उस एसईजेड में डेवलपर (मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज) की पहल पर जामनगर में एसईजेड में हुई है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ए. पी. एस. ई. जेड. एल. ने पहले तथ्यों को दबाकर एस. ई. जेड. में सी. डब्ल्यू. सी. के उप-पट्टे वाले परिसर को शामिल किया और अब वह उसी परिसर की अधिसूचना रद्द करने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है।

सी.

डी.

ई.

अतिरिक्त बिंदु

एफ.

ए. पी. एस. ई. जेड. एल. ने न केवल एस. ई. जेड. क्षेत्र में सी. डब्ल्यू. सी. के परिसर को शामिल करके तथ्यों को दबाया है, बल्कि मुंद्रा बंदरगाह से दूर सी. डब्ल्यू. सी. को वैकल्पिक भूमि की पेशकश करके सी. डब्ल्यू. सी. के भूखंड पर कब्जा करने का भी कई बार प्रयास किया है।सी. डब्ल्यू. सी. के भूखंड का मूल्य इसके आसपास के विकास के कारण कई बार बढ़ा है और वैकल्पिक भूमि न केवल कम मूल्य की है, बल्कि सी. डब्ल्यू. सी. के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी कम उपयुक्त है। सी. डब्ल्यू. सी. गंभीर वित्तीय प्रभावों के कारण वैकल्पिक भूमि के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है।जब सी. डब्ल्यू. सी. के प्रबंधन द्वारा भूमि के आदान-प्रदान के प्रस्ताव की जांच की जा रही थी, तो सी. डब्ल्यू. सी. के तत्कालीन निदेशक (वित्त) के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता ए.

जी.

एच.

1023

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) [बी. आर. गवई, जे.] ए.

आयोग (सीवीसी)।इस शिकायत का निपटारा करते समय, सी. वी. सी. ने ओ. एम. संख्या. 08/एफ. यू. डी./1717170378 दिनांक 12.01.2010 (अनुलग्नक-एस) के माध्यम से कहा कि "सी. डब्ल्यू. सी. के गोदामों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने से, मैसर्स जी. ए. पी. एल. को अनुचित लाभ होगा और साथ ही सी. डब्ल्यू. सी. न केवल व्यवसाय खो देगा, बल्कि अन्य सरकारी एजेंसियों की मदद से नए स्थान पर उसी तरह का बुनियादी ढांचा

बनाने के लिए नए सिरे से संघर्ष करना होगा।"सी. वी. सी. ने आगे कहा है कि "सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा शामिल लागत और व्यवसाय खोने की संभावना के अलावा सी. डब्ल्यू. सी. गोदाम को स्थानांतरित करने में निहित स्वार्थ हो सकता है, इसलिए, इस मुद्दे पर कड़ी जांच करना और इसकी प्रगति/विकास की निगरानी करना वांछनीय होगा।"सीवीसी ने खाद्य और पीडी विभाग से इस संबंध में भविष्य के घटनाक्रमों के बारे में आयोग को सूचित रखने का भी अनुरोध किया है।सीवीसी की इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि सीवीसी के निर्देश भारत सरकार के सभी विभागों पर लागू होते हैं, इसलिए यह वाणिज्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वह अपने परिसर की अधिसूचना रद्द करने के लिए सीडब्ल्यूसी के अनुरोध को स्वीकार करे।"

बी.

सी.

डी.

33. 31 जुलाई, 2017 के उक्त संचार के अवलोकन से पता चलता है कि सी. ए. एफ. और पी. डी. मंत्रालय के अनुसार, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने भंडारण गतिविधियों के लिए 2 जून, 2004 के समझौते के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा किया है।उक्त मंत्रालय का यह भी रुख है कि ए. पी. एस. ई. जेड. एल. ने तथ्यों को दबाते हुए एस. ई. जेड. क्षेत्रों में अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. के उप-पट्टे वाले परिसर को शामिल किया है।यह कहा गया है कि चूंकि अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. ने पहले ही 1 अगस्त 2004 को भूखंड का कब्जा ले लिया है, यानी 23 जून 2006 की एस. ई. जेड. अधिसूचना की तारीख से बहुत पहले, उक्त क्षेत्र को एस. ई. जेड. क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जा सकता था।यह कहा गया है कि चूंकि उप-पट्टे वाले क्षेत्र का परिसीमन/अधिसूचना रद्द करने के लिए कार्रवाई करना एपीएसईजेडएल का दायित्व था, और चूंकि उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए अपीलकर्ता-सीडब्ल्यूसी को इस मामले को सी एंड आई मंत्रालय के साथ उठाने की आवश्यकता थी। उक्त संचार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सी एंड आई मंत्रालय का दृष्टिकोण कि परिसीमन/अधिसूचना रद्द करने की कोई संभावना नहीं थी, सही रुख नहीं था।यह भी कहा गया है कि इस तरह के आंशिक डीनोटिफिकेशन होने के उदाहरण भी हैं।यह कहा गया है कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के भूखंड का मूल्य इसके आसपास के विकास के कारण कई बार बढ़ा है और वैकल्पिक भूमि न केवल कम मूल्य की है, बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी कम उपयुक्त है।यह कहा गया है कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. भी गंभीर वित्तीय प्रभावों के कारण वैकल्पिक भूमि के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है। एक संदर्भ भी है

ई.

एफ.

जी.

एच.

सी. वी. सी. के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12 जनवरी 2010 को दिया गया था जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

34. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस बीच, 17 जनवरी 2017 की बैठक के कार्यवृत्त से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की एस. सी. ए. संख्या 5816 होने वाली दूसरी रिट याचिका को प्राथमिकता दी थी।उक्त रिट याचिका की प्रार्थना इस प्रकार हैः

बी.

"(क) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 17.01.2017 पर आयोजित एक बैठक में लिए गए निर्णय को रद्द करने और रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र या एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जैसा कि याची निगम को दिनांकित 25.01.2017 पत्र के तहत सूचित किया गया है, अवैध, मनमाना और कानून में बुरा होने के रूप में;

सी.

(ख) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को वर्ष 2004 में पट्टे पर दी गई भूमि के क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निगम के अनुरोध पर विचार करने के लिए अनिवार्य रूप से एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना और केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के आलोक में एक गोदाम का निर्माण करना, निगम, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और डेवलपर के बीच पत्राचार, और कानून के अनुसार;

डी.

ई.

35. 2017 के एस. सी. ए. सं. 5816 में दिनांक 26 अप्रैल 2019 के आदेश के अनुसार, इसे 2017 के एल. पी. ए. सं. 22 के साथ रखने का निर्देश दिया गया था। 36.ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त एल. पी. ए. के लंबित रहने के दौरान, प्रस्ताव और जवाबी प्रस्ताव थे।यह ध्यान देने योग्य है कि एपीएसईजेडएल द्वारा 9 मार्च 2019 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।उक्त प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः

एफ.

• “मुंद्रा औद्योगिक एस्टेट के गैर-एस. ई. जेड. क्षेत्र में वैकल्पिक स्थान प्रदान करने के लिए ए. पी. एस. ई. जेड. समान आकार का है अर्थात लगभग।34 एकड़।

• एपीएसईजेड आपके साथ चर्चा करने के बाद मौजूदा गोदाम के मौजूदा आयामों के अनुसार गोदाम का निर्माण करेगा।

जी.

• सी. डब्ल्यू. सी. को राहत देने के लिए, ए. पी. एस. ई. जेड. नए ए. में गोदाम लेकर सी. डब्ल्यू. सी. के लिए राजस्व जोखिम को कम करने के लिए तैयार है।

एच.

1025

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) [बी. आर. गवई, जे.] ए.

पट्टे की शेष अवधि के लिए आपके प्रकाशित शुल्क के अनुसार किराए पर स्थान।”

37. उक्त प्रस्ताव बी. ओ. डी. के समक्ष विचार के लिए रखा गया था। बी. ओ. डी. ने सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित शर्तों पर उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लियाः

बी.

“(i) मेसर्स ए. पी. एस. ई. जेड. एक उपयुक्त वैकल्पिक भूमि प्रदान कर सकता है

सी**.** डब्ल्यू**.** सी**.** द्वारा चुने गए मौजूदा आकार के समान

मुंद्रा बंदरगाह पर एस**.** ई**.** जेड**.** क्षेत्र।

(ii) सी. डब्ल्यू. सी. के विनिर्देशन के अनुसार मेसर्स ए. पी. एस. ई. जेड. द्वारा 66000 एम. टी. (मौजूदा के अनुसार) का गोदाम बनाया जा सकता है।

सी.

बारह (12) महीनों की अवधि

(iii) मेसर्स ए. पी. एस. ई. जेड. सी. डब्ल्यू. सी. के मौजूदा सार्वजनिक शुल्क पर शेष खुले क्षेत्र के साथ इस तरह से बनाए गए पूरे कवर किए गए स्थान को लेगा।

समर्पित राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि (यौगिक) के साथ

पट्टा की पूरी अवधि के लिए भंडारण आधार अर्थात **16.2.2031** तक**,**

डी.

निगम के व्यवसाय और अन्य जोखिमों का बीमाकरण करेगा और इस आशय की बैंक गारंटी की उपयुक्त राशि देते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।”

38. इस प्रकार यह स्पष्ट हो सकता है कि एपीएसईजेडएल ने 9 मार्च 2019 के अपने प्रस्ताव में, पट्टा की शेष अवधि के लिए अपीलकर्ता-सीडब्ल्यूसी के प्रकाशित शुल्क के अनुसार गोदाम को किराए पर नए स्थान पर ले जाकर अपीलकर्ता-सीडब्ल्यूसी के राजस्व जोखिम को कम करने पर सहमति व्यक्त की थी, और इसे अपीलकर्ता-सीडब्ल्यूसी द्वारा केवल इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया था कि एपीएसईजेडएल उक्त प्रभाव के लिए बैंक गारंटी की उपयुक्त राशि देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।

ई.

एफ.

39. हालांकि, लगभग तीन महीने की अवधि के बाद, ए. पी. एस. ई. जेड. एल. ने 10 जून 2019 को अपने संचार के माध्यम से 9 मार्च 2019 के अपने प्रस्ताव से पीछे हट गया, जो इस प्रकार हैः

“प्रिय महोदय,

इसमें **9** मार्च**, 2019** के हमारे पत्र और **4** अप्रैल**, 2019** के आपके जवाब का संदर्भ है।

जी.

पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान पर पहुंचने के लिए पिछले 3 महीनों से एक साथ काम कर रहे हैं।

9 मार्च, 2019 के हमारे पत्र के संदर्भ में, जिसमें आपके मौजूदा स्थानांतरण के लिए एक वैकल्पिक स्थान की पेशकश के साथ

एच.

हमने किराए पर नए स्थान पर गोदाम के लिए सी**.** डब्ल्यू**.** सी**.** के लिए राजस्व जोखिम को कम करने का सुझाव दिया था।हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजस्व जोखिम की इस तरह की हामीदारी बाजार दरों के आधार पर की जानी चाहिए जिसे पारस्परिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है क्योंकि मौजूदा प्रकाशित शुल्क समान प्रकार के गोदामों की बाजार दरों की तुलना में बहुत अधिक है।

बी.

आगे जैसा कि आपके निदेशक के साथ बैठक के दौरान चर्चा की गई थी

(एम एंड सी. पी.), सी. डब्ल्यू. सी. हम वन टाइम पर काम करना चाहेंगे।

समझौता (ओटीएस), जो हमारा मानना है कि इस मुद्दे का सबसे कुशल और त्वरित समाधान होगा और हम इस संबंध में आपके प्रस्ताव और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

सी.

40. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालांकि 9 मार्च 2019 के एपीएसईजेडएल के प्रस्ताव में बताई गई तीनों शर्तों को बीओडी द्वारा 12 जून 2019 की अपनी बैठक में स्वीकार कर लिया गया था, इस बीच, एपीएसईजेडएल एकतरफा रूप से तीसरी शर्त से पीछे हट गया।

डी.

41. विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने वास्तव में यह अभिनिर्धारित किया है कि हालांकि अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार पहली दो शर्तों से बाध्य था, दूसरा प्रत्यर्थी तीसरी शर्त से बाध्य नहीं था जैसा कि 9 मार्च 2019 को ए. पी. एस. ई. जेड. एल. द्वारा प्रस्तुत किया गया था और बाद में 10 जून 2019 को वापस ले लिया गया था।

ई.

42. डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि चूंकि पहली दो शर्तों पर आम सहमति थी और तीसरी शर्त पर कोई आम सहमति नहीं थी, इसलिए अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. पहली दो शर्तों से बंधा था और जहां तक तीसरी शर्त का संबंध है, पक्षकारों के लिए अपने बीच या मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता करने के लिए खुला था।डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि हालांकि एपीएसईजेडएल ने शुरू में तीसरी शर्त का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने तुरंत 10 जून 2019 के अपने अगले पत्र में इसे समझाया और स्पष्ट किया था।उच्च न्यायालय के विचार में, तीन महीने की अवधि 'तत्काल' है।

एफ.

43. हम खंड पीठ के उक्त दृष्टिकोण को पूरी तरह से असमर्थनीय पाते हैं।

जी.

44. हमारा विचार है कि खंड पीठ द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, वास्तव में, अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को, जो एक वैधानिक निकाय है, समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था।28 जनवरी 2021 के आदेश के अनुसार, खंड पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनकी राय थी कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. ए. द्वारा ली गई पहली दो शर्तें

एच.

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) [बी. आर. गवई, जे.] ए.

12 जून, 2019 की अपनी बैठक में तीसरी शर्त जो भविष्य में कार्य वृद्धि, लागत आदि को भी ध्यान में रखती है, उचित नहीं लगती है और विवाद को अनावश्यक रूप से जारी रख सकती है। इसे देखने और अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के वकील को अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के एम. डी. से निर्देश लेने के लिए एक छोटा सा स्थान देने के बाद, खंड पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी कीः"9. हम यह स्पष्ट करते हैं कि उनके निर्णय लेने में और देरी की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि उक्त समझौता अपीलार्थी -केंद्रीय भंडारण निगम के लिए सहमत नहीं है, तो अपीलार्थी -केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक का एक हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें इसके कारणों का खुलासा किया जा सकता है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा अगली तारीख को उचित आदेश पारित किए जा सकते हैं।"

बी.

सी.

45. उच्च न्यायालय, वास्तव में, अपीलार्थी के प्रबंध निदेशक-सी. डब्ल्यू. सी., जो एक सांविधिक निकाय है, को पहली दो शर्तों को स्वीकार करने और मध्यस्थता के माध्यम से पारस्परिक रूप से निपटाने के लिए तीसरी शर्त को छोड़ने के लिए मजबूर करता है।9 मार्च 2019 को ए. पी. एस. ई. जेड. एल. द्वारा दिया गया प्रस्ताव समग्र था इसलिए अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा भी इसकी स्वीकृति समग्र थी।पहली दो शर्तों की स्वीकृति भी तीसरी शर्त पर निर्भर थी।यदि उच्च न्यायालय विवाद के निपटारे के बारे में इतना चिंतित था, तो अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. को पहली दो शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हुए, उसे ए. पी. एस. ई. जेड. एल. को तीसरी शर्त को स्वीकार करने के लिए भी मजबूर करना चाहिए था।

डी.

ई.

46. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पैराग्राफ (24) में इस प्रकार टिप्पणी कीः

"24. हम अपीलार्थी -सी. डब्ल्यू. सी., एक केंद्र सरकार के उपक्रम के कानून का पालन न करने के लिए एक जिद्दी और लगातार दृष्टिकोण रखने और अपनी स्थिति के कारण निजी प्रत्यर्थी पर दबाव डालने की कोशिश करने के मौन रवैये पर थोड़ा आश्चर्यचकित और दुखी भी हैं।हम यह समझने में विफल हैं कि कैसे सी. डब्ल्यू. सी. के कद के एक निकाय में कोई भी 'अहंकार' हो सकता है जो एक इंसान की बुराई है और एक न्यायिक व्यक्ति, निश्चित रूप से मनुष्यों द्वारा प्रबंधित, निश्चित रूप से अपने शीर्ष स्तर पर एक बेहतर लोकतांत्रिक और सहमति से निर्णय लेने की प्रक्रिया हो सकती है।वर्तमान मामले में सी. डब्ल्यू. सी., न केवल निजी

प्रत्यर्थी -ए. पी. एस. ई. जेड. एल. के खिलाफ मुकदमे की इस लड़ाई में है, बल्कि अपने स्वयं के मूल, अर्थात् केंद्र सरकार के खिलाफ भी है, जिसने अपनी कार्रवाई को चुनौती नहीं दी है।

एफ.

जी.

एच.

सी. डब्ल्यू. सी. ने अपने गोदाम के मौजूदा क्षेत्र को एस. ई. जेड. क्षेत्र से बाहर करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसे निजी प्रत्यर्थी -ए. पी. एस. ई. जेड. एल. को आवंटित किया गया था और उनके द्वारा एस. ई. जेड. अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार विकसित किया जा रहा है, क्योंकि ए. पी. एस. ई. जेड. एल. द्वारा सी. डब्ल्यू. सी. को दिए गए उप-पट्टे के तहत, उसने पहले ही वहां एक गोदाम का निर्माण कर लिया था, इससे पहले कि 34 एकड़ के गोदाम क्षेत्र सहित 5000 एकड़ से अधिक के बहुत बड़े क्षेत्र को विशेष और प्रमुख कानून के तहत एस. ई. जेड. क्षेत्र घोषित किया गया था।"

बी.

47. हम खंड पीठ की उक्त टिप्पणियों को पूरी तरह से अनुचित पाते हैं।उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. एक सांविधिक निकाय था। सीवीसी द्वारा वर्ष 2010 की शुरुआत में ही यह टिप्पणी की जा चुकी है कि वर्तमान स्थल से परिवर्तित स्थल पर भंडारण सुविधा की अदला-बदली से गंभीर वित्तीय निहितार्थ पैदा होंगे और इसमें विभिन्न निहित स्वार्थ भी शामिल हो सकते हैं।सी. वी. सी. ने यह भी देखा था कि व्यापार में नुकसान होने की भी संभावना है।इसके अलावा, डिवीजन बेंच ने सीएएफ एंड पीडी मंत्रालय द्वारा लिए गए रुख को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसने भी इस तरह की अदला-बदली का विरोध किया था।उच्च न्यायालय अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के आचरण से आश्चर्यचकित होने के बजाय, हम ही हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से आश्चर्यचकित हैं।जब किसी मुद्दे में सांविधिक निगम और निजी कंपनी के हितों का संतुलन शामिल होता है, तो उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए था।उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि जब तक तीनों शर्तों का पालन नहीं किया जाता, तब तक अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी., जो एक सांविधिक निगम है, के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती थी।यदि कोई समझौता किया जाना था, जब तक कि वह दोनों पक्षों के हित में नहीं पाया जाता था, तो इसे किसी वैधानिक निगम पर उसके नुकसान और किसी निजी संस्था के लाभ के

लिए नहीं थोपा जा सकता था।48. किसी भी मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाएं बहुत अधिक लंबित हैं।यदि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश लागू रहता है, तो उक्त रिट याचिकाओं में निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।यह प्रश्न कि क्या पहली रिट याचिका मान्य है या नहीं, एक ऐसा प्रश्न होगा जिसका निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश को करना होगा। निर्विवाद रूप से, दूसरी रिट याचिका जो वैधानिक अधिकारियों के खिलाफ राहत की मांग करती है, कानून में बहुत अधिक मान्य है।हमारा विचार है कि डिवीजन बेंच के पास उपलब्ध सबसे अच्छा तरीका विद्वान एकल न्यायाधीश को याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश देना था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1029

केंद्रीय चेतावनी निगम. v.अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (ए. पी. एस. ई. जेड. एल.) [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

49. इसलिए हमारा विचार है कि 30 जून 2021 का उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

50. फैसला देने से पहले, एक महत्वपूर्ण मुद्दे ने हमारी चिंता को आमंत्रित किया है।भारत संघ के दो मंत्रालयों द्वारा लिए गए रुख एक दूसरे के विपरीत हैं।एक ओर, सी एंड आई मंत्रालय ने माना है कि अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा मांगी गई परिसीमन/अधिसूचना कानून में अनुमत नहीं है जैसा कि 17 जनवरी 2017 की बैठक के कार्यवृत्त से देखा जा सकता है।इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद, अपीलकर्ता-सी. डब्ल्यू. सी. ने 17 अगस्त 2021 को फिर से या तो ए. पी. एस. ई. जेड. एल. से क्षेत्र का सीमांकन करने या वैकल्पिक रूप से, एस. ई. जेड. इकाइयों पर लागू शर्तों/दायित्वों का पालन करने से छूट/छूट देने के लिए आवेदन किया था।हालांकि, ए. पी. एस. ई. जेड. एल. के निर्दिष्ट अधिकारी ने 7 सितंबर 2021 के संचार के माध्यम से उक्त अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि एस. ई. जेड. अधिनियम और नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्राधिकरण को इस तरह की छूट देने का अधिकार देता है।

बी.

सी.

डी.

51. दूसरी ओर, सी. ए. एफ. और पी. डी. मंत्रालय ने यह रुख अपनाया है कि इस तरह का परिसीमन/अधिसूचना रद्द करना कानून में अनुमत है और यह भी कहा है कि ऐसा करने के लिए उदाहरण हैं।अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के विद्वान वरिष्ठ वकील ने कुछ अधिसूचनाएँ भी दर्ज की हैं जिनके माध्यम से कुछ क्षेत्रों को ए. पी. एस. ई. जेड. एल. के कहने पर अधिसूचित विद्वान गया है। हम उस क्षेत्र में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि इसका सीधा असर अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा दायर दूसरी रिट याचिका पर पड़ेगा। हम इस संबंध में कुछ भी देखने से किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।सी. ए. एफ. और पी. डी. मंत्रालय का यह भी रुख है कि गोदामों को वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित करना अपीलार्थी-सी. डब्ल्यू. सी. के साथ-साथ सार्वजनिक राजस्व के हित के खिलाफ होगा।

ई.

एफ.

52. हमारा विचार है कि भारत संघ के लिए दो विरोधाभासी आवाज़ों में बोलना अच्छा नहीं है। भारत संघ के दो विभागों को ऐसे स्टैंड लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो तिरछे विपरीत हों।हम लाभप्रद रूप से इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं -

जी.

लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य **3:**

“14. राज्य सरकार दो सुरों में नहीं बोल सकती।एक बार जब मंत्रिमंडल अपने 2004 के औद्योगिक विस्तार के लिए नीतिगत निर्णय लेता है

3 (2016) 1 एससीसी 560

एच.

पात्र इकाइयों को सी. एस. टी. रियायत के मामले में नीति 31-3-2009 से परे, 31-3-2013 तक, और तदनुसार अधिसूचना दिनांक 29-5-2009 संबंधित विभाग द्वारा जारी की

गई है। उद्योग विभाग, उसके बाद, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग एक अलग रुख नहीं ले सकता है।दाहिने हाथ से जो दिया जाता है उसे बाएं हाथ से नहीं लिया जा सकता है।सरकार केवल एक स्वर में बोलेगी।इसकी केवल एक ही नीति है।विभागों को सरकारी नीति को लागू करना है न कि अपनी नीति को।

बी.

53. इसलिए, हम भारत संघ से यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का आग्रह करते हैं कि जब भी विभिन्न विभागों द्वारा इस तरह के परस्पर विरोधी रुख अपनाए जाएं, तो उन्हें सरकारी स्तर पर ही हल किया जाना चाहिए।

सी.

54. इसलिए हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह इस फैसले की एक प्रति भारत के विद्वान महान्यायवादी को अपने अच्छे पदों का उपयोग करने और आवश्यक कार्य करने के लिए प्रस्तुत करे।

डी.

55. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैंः((i) अपीलों की अनुमति है।

((ii) 2017 के एस. सी. ए. सं. 5816 के साथ 2017 के एस. सी. ए. सं. 184 में 2017 के एल. पी. ए. सं. 22 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 30 जून 2021 के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है।

ई.

(iii) 2017 की एस. सी. ए. संख्या 184 और 5816 को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को वापस भेज दिया जाता है, ताकि इस निर्णय की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर यथासंभव तेजी से निर्णय लिया जा सके।

एफ.

56. जब तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अगले आदेश पारित नहीं किए जाते हैं, तब तक 2017 के एल. पी. ए. संख्या 22 में डिवीजन बेंच द्वारा पारित 26 अप्रैल 2019 का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

57. हम स्पष्ट करते हैं कि हमारा आदेश दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने के रास्ते में नहीं आएगा।

जी.

58. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

बिभूति भूषण बोस

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

एच.